जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 17.07.2025

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में 01 बालअपचारी को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बेलहरकला ***श्री श्याम मोहन*** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 180/2025 धारा 105 बीएनएस मे 01 नफर बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 16.07.2025 को थाना बेलहरकला पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 15.07.2025 को घर में उनके तीन बच्चे मोबाइल की बात को लेकर झगड़ रहे थे इसी बीच एक बच्चे द्वारा सब्जी काटने वाला चाकू ले लिया और छीना छपटी में वादी की पुत्री को चाकू लग गया जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। जिसके उपरान्त थाना बेलहरकला पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रकरण की गंभीरकता को देखते हुए थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए बाल अपचारी को घटना मे प्रयुक्त 01 अदद चाकू के साथ आज दिनांक 16.07.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री विश्वकर्मा गिरि, का0 रामभूषण पटेल, का0 बृजेश सिंह।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 16.07.2025 को ***मा0 न्या0 सीजे(एसडी) /एसीजेएम संतकबीरनगर*** के द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

मु0अ0सं0 40/2002 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त शेर अली उर्फ मजनू पुत्र अब्बास अली निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा ।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1200 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 16.07.2025 को ***मा0 न्या0 सीजे(एसडी) /एसीजेएम संतकबीरनगर*** के द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 1200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 346/2000 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त गुड्डू उर्फ जमील उर्फ नौआब पुत्र इश्तियाक उर्फ इश्तियार निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा ।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैंगेस्टर एक्ट के मामलें में अभियुक्त को 02 वर्ष 01 माह के कठोर कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 16.07.2025 को ***माननीय न्यायालय एस0पी0सी0 जे0 /एस0सी0/एस0टी0 एक्ट जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्त को 02 वर्ष 01 माह के कठोर कारावास व 5,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 2397/2016 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त मो0 ताहिर उर्फ बब्लू पुत्र मो0 हसन निवासी ईदगाह रोड़ मोतीनगर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अपराध के लिए 02 वर्ष 01 माह के कठोर कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 03 माह के कठोर कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डे* के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 233/2025 धारा 137(2), 87, 64(2)एम बीएनएस व 5(L)/6, 5जे0/6 पाक्सो एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता रोहित पुत्र लालबाबू शाह निवासी सरिस्वा बाजार वार्ड नं0 11 थाना मझवलिया जिला बेतिया राज्य बिहार को नेतवापुर चौराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 19.05.2025 को थाना धनघटा पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 17.07.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी, का0 विरेन्द्र चौहान।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 261 वाहनों से 2,76,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 17.07.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 261 वाहनों से 2,76,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अन्दर 05 गुमशुदा बालकों को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया गया सुपुर्द-

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा गुमशुदा बच्चों की सकुशल बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के नेतृत्व में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0-649/25, 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित गुमशुदा 05 नफर बालक नाम पता 01. अनुराग यादव पुत्र जोगेन्द्र यादव उम्र लगभग 12 वर्ष निवासी उस्का खुर्द, 02. आजाद पुत्र जयहिन्द उम्र 12 वर्ष, 03. किशन पुत्र व्यास शर्मा उम्र 13 वर्ष, 04. अनीष चौहान पुत्र मोहन चौहान निवासीगण तितौवा उम्र 12 वर्ष, 05. युसुफ पुत्र मो० हसन निवासी केरमुआ माफी उम्र 13 वर्ष थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को सकुशल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.07.2025 को वादी श्री जोगेन्द्र यादव पुत्र दुर्बल यादव निवासी उस्का खुर्द थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा तहरीर दी गई थी कि दिनांक 16.07.2025 को उनका 12 वर्षीय पुत्र व उसके 04 दोस्त एक साथ कही चले गये है, वापस नहीं लौटे। उक्त सूचना पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम द्वारा दिनांक 17.07.2025 को समय करीब 09:00 बजे रात्रि में इंटरनेशनल बाटी चोखा ढ़ाबा जनपद गोरखपुर से गुमशुदा बालकों को सकुशल बरामद किया गया।

बरामदकर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक थाना को0 खलीलाबाद श्री पंकज कुमार पाण्डेय।
02. उ0नि0 श्री अवधेश।
03. हे0का0 अनिल सिंह।
04. हे0का0 नुरुद्दीन।
05. का0 सत्येन्द्र सिंह।
06. का0 सतवंत सिंह।